न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस
अपील संख्याः 590/2017

गोपाल पुत्र बदरी जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम रामपुरावास दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. गैंदी पत्नि गुल्ला जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम रामपुरावास दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. कमली देवी उर्फ नानगी पत्नि हरिनारायण पुत्री गुल्ला
3. छोटी देवी पत्नि देशराम पुत्री गुल्ला
4. जामोती पत्नि रामराय पुत्री गुल्ला
   समस्त जाति हरियाण ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम खिवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. कैलाशी देवी पुत्री गुल्ला पत्नि भौरीलाल जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम गढ, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
6. हरिनारायण पुत्र रामनाथ
7. दीपक पुत्र रामनाथ
8. राजू पुत्र रामनाथ
9. भौरी पत्नि रामनाथ
10. रामकरण पुत्र छीतर
11. लक्ष्मीनारायण पुत्र मूलचन्द
    समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम रामपुरावास दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
13. उप पंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
14. बैंक ऑफ बडौदा जरिये मैनेजर शाखा बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
15. जयपुर थार ग्रामीण बैंक जरिये मैनेजर शाखा बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 12.06.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 135/2016 उनवान गैंदीव अन्य बनाम हरिनारायण व अन्यअंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

राजेश कुमार शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी
श्याम सुन्दर खण्डेलवाल एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 11

निर्णय दिनांकः 30/3/2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर के अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 12.06.2017 वाद पत्र संख्या 135/2016 बउनवानी गैंदी व अन्य बनाम हरिनारायण व अन्य के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 40 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 75 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 120 रकबा 0.02 बिस्वा, खसरा नंबर 121 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा ग्राम रामपुरावास दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है जिसका वर्तमान खाता संख्या 74 है जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विवादित भूमि खसरा नंबर 38 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा ग्राम रामपुरावास दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है जिसका वर्तमान खाता संख्या 75 है। खाता संख्या 74 की भूमि में 1/5 हिस्सा वादीगण का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का व शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का है एवं विवादित भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 हिस्सेनुसार एवं मनबट के अनुसार काबिज काश्त है।खाता संख्या 75 की भूमि में 1/5 हिस्सा वादीगण का, 3/20 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का व 9/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का बनता है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण हिस्सेनुसार व मनबट अनुसार काबिज काश्त है।प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजीयात को मनबट के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स व यथासंभव कब्जे अनुसार विभाजन करवाने हेतु वादीगण के साथ सहमत नहीं है एवं विवादित भूमि के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करने, अवैधानिक रूप से बेचान करने एवं कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने पर आमादा है। अभी कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजीयात पर आये एवं विवादित आराजीयात के विशिष्ट भू भाग पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल करने लगे जिस पर वादीगण ने ऐसा करने से इंकार किया तो प्रतिवादीगण क्रोधित हो गये एवं वादीगण को धमकी दी कि वह अवसर मिलते ही आराजीयात के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा कर आराजीयात का बेचान करेगे एवं वादीगण को बेदखल कर देगे जिससे वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार तकासमा किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण को विवादित भूमि को हिस्सेनुसार काश्त करने व उपयोग उपभोग करने में बाधा कारित नहीं करे न ही वादीगण को बेदखल करे, न कोई पुख्ता निर्माण करे व राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी व प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 27.06.2016 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित कर तहसीलदार बस्सी को कुरैजात प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। तत्पश्चात् तहसीलदार बस्सी द्वारा कुरैजात प्रस्तुत करने पर लोक अदालत दूधली कैम्प कोर्ट में दिनांक 12.06.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2017 को अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर अंतिम निर्णय डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किये। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया किअपीलार्थी द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरैजात पर कोई सहमति प्रदान नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट के ना तो कोई नोटिस तामील करवाये गये है एवं ना ही सूचना प्रदान की गई है साथ ही कुरैजात पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा जो कुरैजात प्रस्तुत किये गये है वह तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित होकर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं किये गये है। लोक अदालत में पक्षकारान की सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई एवं ना ही अपीलान्ट द्वारा अपनी सहमति अंतिम निर्णय डिक्री हेतु दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त बिन्दुओं पर गौर न कर गलत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 12.06.2017 खारिज फरमाई जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित होकर पक्षकारान की उपस्थिति में कुरैजात तैयार किये गये है जिनका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरीक्षण कर कुरैजात सही पाये जाने पर अंतिम निर्णय डिक्री पारित की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के तकासमा के नियमानुसार अंतिम निर्णय डिक्री पारित की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत हेतु गठित समिति की सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विधि अनुसार लोक अदालत में पारित निर्णय के विरूद्व अपील विचारणीय नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाई जावे।अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2016–17(Supp.) आर.आर.टी. पेज 714 पेश किया।

4. बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प दुधली में किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अन्तिम आदेशिका दिनांक 12/06/2017 जिसके द्वारा वाद का अन्तिम निस्तारण किया गया है, में अंकित किया गया है कि "पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प दुधली में पेश हुई, पक्षकारान उपस्थित परन्तु हस्ताक्षर करने से मना किया | वादी का वाद तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुर्रेजात व नक्शे के अनुसार अन्तिम डिक्री किया गया |" उक्त आदेशिका से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित की जाने की कार्यवाही की जा रही थी उसमे पक्षकारान की सहमति नही थी जिससे उनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने से ईन्कार किया गया एवं लोक अदालत की भावना के अनुसार जब तक पक्षकारान में आपसी सहमति नही बने, वाद का अन्तिम निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से नही किया जा सकता बल्कि वाद का नियमित वाद की प्रक्रिया के तहत ही निस्तारण किया जा सकता है | जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सरसरी तौर पर वाद का निस्तारण किया गया है, उचित प्रतीत नही होता है | दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आर.आर.टी. 2016-17(SUPP.) पृष्ठ संख्या 714 उद्दरित की, जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि उक्त प्रकरण में सन्दर्भित वाद में प्रकरण आपसी सहमति(राजीनामा) के आधार पर लोक अदालत द्वारा निर्णित किया गया था जिस हेतु माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि ऐसे लोक अदालत के निर्णय के विरुद्द अपील संधारणीय नही होती है किन्तु विचाराधीन प्रकरण में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा या सहमति नही हुई थी जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना के विपरित जो निर्णय पारित किया गया है वह निर्णय की परिभाषा में नही आने से ऐसे आदेश की परिभाषा में नही आने से ऐसे आदेश की अपील संधारणीय है जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण का नियमित वाद के रूप में सुनवाई की जाकर विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर निस्तारण किया जावे | तदनुसार निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 12/06/2017 निरस्त किये जाते है |

5 पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

6 आज दिनांक३०|३|२१को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर